उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या– – /VIII–1/22–06(श्रम)/2020
देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2022

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में संशोधन कर अधिष्ठान के वर्तमान पंजीयन की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्वतः पंजीयन (Deemed Registration) का प्रावधान किया जाए, अधिष्ठान के पंजीयन हेतु अधिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, जैसा कि नियमावली अथवा समय–समय पर प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित हो और यदि आवेदन की तिथि से बीस दिन की अवधि में पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो पंजीयन हेतु किया गया आवेदन स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा। व्यापार की सुगमता (Ease Of Doing Business) को बढ़ावा देने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दृष्टि से उक्त संशोधन किया जाना अपरिहार्य है। भारत सरकार से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उक्त दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 1979 (अधिनियम सं0 30 वर्ष 1979) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में संलग्न प्रारूप नियमावली के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित हैं;

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो तो, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से सात दिनों की अवधि के भीतर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें, जो समस्त सुझाव/आपत्तियों को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे;

उक्त सात दिनों की समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति या सुझाव स्वीकार एंव विचार नहीं किये जायेंगे।

प्रारूप नियमावली
उत्तराखण्ड { उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त) } (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त)} (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगी।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ –1 में दिए गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया :	3. अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया :
(1) किसी अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र–1 में तीन प्रतियों में मुख्य नियोजक या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा उस क्षेत्र के	(1) प्रत्येक मुख्य नियोजक, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक

पंजीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण हेतु चाहा गया अधिष्ठान अवस्थित है।	अभिलेख सहित जैसा कि पोर्टल /संगत नियमों में अपेक्षित हो, ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन/आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पंजीयन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा।
(2) आवेदन के साथ एक कारस्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट/ कोषागार चालान संलग्न किया जाएगा जिसमें अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान दर्शाया जाएगा।	(2) आवेदन के साथ एक कारस्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट/ कोषागार चालान संलग्न किया जाएगा जिसमें अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान दर्शाया जाएगा।
(3) आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से मुख्य नियोजक द्वारा या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा पंजीकरण अधिकारी को किया जाएगा या उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।	
(4) आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण अधिकारी उस पर आवेदन की प्राप्ति की तिथि को दर्ज करने के उपरांत आवेदक को एक पावती देगा।	

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः– 520 (1)/ VIII-1/22–06(श्रम)/2020 तददिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल को इस निर्देश से प्रेषित कि प्रारूप नियमावली को ऐसे सभी व्यक्ति जिनको अधिसूचना द्वारा किये जा रहे संशोधन से प्रभावित होने की सम्भावना है, के मध्य प्रसारित/प्रकाशित करते हुए अधिसूचना में निर्धारित समयावद्धि के अन्तर्गत उनसे प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर अपना सुस्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India ' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 520/ VIII 1 / 22-06(labour) / 2020 dated : 16 November,2022 for general information .

Uttarakhand Government
Labour Section
No. 520 / VIII-1 / 22-06 (Labour) / 2020
Dehradun : Date 16 November,2022

NOTIFICATION

Whereas , State Government is satisfied that the provision for deemed-registration in the online process of the current registration of the establishment in Uttar Pradesh Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rules, 1983 (as applicable to the State of Uttarakhand), an online application shall be made by the establishment with the prescribed fee subject to such conditions as may be mentioned in the rules or relevant rules from time to time and if the decision is not taken by the registering officer on application within a period of twenty days from the date of application. then the application made for registration will automatically be considered accepted. The above amendment is inevitable with a view to promote ease of doing business and simplification of procedures. The above guidelines have also been received from the Government of India under the program Ease of Doing Business;

Now , therefore in exercise of powers conferred by sub - section (1) of section 35 of Interstate Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act , 1979 (Act no. 30 of 1979) the Governor is pleased to propose the amendment in Uttar Pradesh Interstate Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rule , 1983 according to draft annexed and invite objection and suggestion from all such people who are likely to get affected by such amendment ;

the Governor also directs that objection and suggestion on said notification if any is to be compulsory prescribed Labour Commission, Uttarakhand labour Building, Haldwani within Seven days from the date of publication of this notification ;

No objection and suggestion shall be considered after period of said Seven days.

Drafts Rules

The Uttarakhand {Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) } (Amendment) Rules , 2022 .

Short title , extent and commencement .	1.	These rules may be called the Uttarakhand {Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) } (Amendment) Rules , 2022 . (2) It shall extends to the whole of Uttrakhand . (3) It shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette .
Amendment of rule 3	2.	In the Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rules , 1983 (As applicable to the State of

Uttarakhand) for the existing rule 3 set out in column - 1 below the rule as set out in colum - 2 shall be substituted , namely:-

Colume – 1 Existing Rule	Colume - 2 Rules hereby substituted
3 Manner of making Application for Registration of Establishment . –	**3 Manner of making Application for Registration of Establishment . –**
(1) The application for registration of an establishment shall be made in triplicate in Form I by the principal employer or his duly authorized agent to the Registering Officer of the area in which the establishment sought to be registered is located.	(1) Every Chief Employer shall upload the application in online format on the official portal of Labor Department, Government of Uttarakhand along with proof of pre-determined fee along with relevant records as required in the portal/relevant rules and if the decision on the application/ registration is not taken by concerned authority within 20 days from the date of application, then registration will be deemed to be automatically accepted.
(2) The application shall be accompanied by a crossed demand draft / treasury challan showing payment of the fees for the registration of the establishment .	(2) The application shall be accompanied by a crossed demand draft / treasury challan showing payment of the fees for the registration of the establishment.
(3) The application shall either personally delivered to the Registering Officer by the principal employer or by his duly authorized agent or sent to him by registered post .	
(4) On receipt of the application , the Registering Officer shall , after noting there on the date of receipt by him of the application , give an acknowledgement to the applicant .	

By Order ,

(R.Meenakshi Sundram)
Secretary.